

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय.

क्रमांक ई-टेण्डरिंग/बी/19/2009/

भोपाल, दिनांक 26.09.2013

-: आदेश :-

लोक निर्माण विभाग में समस्त निविदायें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित करने के संबंध में जारी म0 प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक ई-टेण्डरिंग /बी/19/2009/442 दिनांक 3.5.2012 के अनुक्रम में एतद् द्वारा रू0 दो लाख लागत तक के "निर्वाचन संबंधी कार्य" की अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने हेतु ई-टेण्डरिंग की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजय सिंह वर्मा)

सचिव

म0प्र0 शासन
लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक 26.09.2013



पृ.क्र. ई-टेण्डरिंग/बी/19/2009/815

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 2- राज्य निर्वाचन आयोग, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
- 3- सचिव, म0 प्र0 शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय ।
- 4- प्रबंध संचालक, म0 प्र0 सड़क विकास निगम, भोपाल ।
- 5- समस्त सभागायुक्त ।
- 6- समस्त कलेक्टर ।
- 7- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन भोपाल ।
- 8- समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग,-----
- 9- समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग ।
- 10- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ।

सचिव

म0प्र0 शासन

लोक निर्माण विभाग

26/09/13

